

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 21 September 2026

अब पैन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी होगा आधार कार्ड, जानिए घर बैठे कैसे करे अप्लाई – पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप ।

Publisher

Published on 01 Jul 2025



सरकार ने पैन कार्ड को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है । जाने 1 जुलाई 2025 से लागू हुए नए नियम और घर बैठे ई-पैन बनवाने की पूरी प्रक्रिया ।

बिना आधार के अब नहीं बनेगा पैन कार्ड

PAN Card Applying Process: भारत सरकार ने पैन कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है । 1 जुलाई 2025 से अब कोई भी नागरिक आधार कार्ड के बिना नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकेगा । यह नया नियम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अधिसूचित किया गया है ।

सरकार ने साथ ही सभी मौजूदा पैन कार्ड धारकों को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराने का अल्टीमेटम दिया है ।

यदि कोई नागरिक 1 जनवरी 2026 तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराता है, तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) घोषित कर दिया जाएगा ।

पैन कार्ड क्यों है जरूरी ?

पैन कार्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने, बैंक खाता खोलने, 50,000 से अधिक के लेनदेन, निवेश, प्रॉपर्टी खरीद जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जरूरी होता है । इसके बिना कई आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाती हैं ।

घर बैठे ऐसे बनवाएं अपना e-PAN – स्टेप बाय स्टेप गाइड

भारत सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए **Instant e-PAN** की सुविधा शुरू की है। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे, **बिना दस्तावेज अपलोड किए, केवल आधार और OTP** के माध्यम से अपना **पैन कार्ड** बनवा सकता है।

स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस :

१. इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
२. होमपेज पर '**Instant e-PAN**' सेक्शन में जाकर '**Get New e-PAN**' पर क्लिक करें।
३. अपना आधार नंबर दर्ज करें (ध्यान दें – आधार से मोबाइल लिंक होना चाहिए)।
४. रजिस्टर्ड मोबाइल पर आया OTP डालकर वेरिफाई करें।
५. आपकी आधार डिटेल्स (नाम, जन्मतिथि, पता) ऑटो-पॉप्युलेट होंगी।
६. सबमिट बटन दबाएं।
७. कुछ ही मिनटों में ई-पैन जनरेट हो जाएगा।
८. पैन नंबर SMS और ईमेल पर भेजा जाएगा।
९. आप चाहे तो e-PAN को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं।
१०. यदि फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, तो ₹107 का भुगतान कर उसे पोस्ट द्वारा मंगवाया जा सकता है (15-30 दिन में डिलीवरी होगी)।

जरूरी बातें जो आपको जाननी चाहिए

१. आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
२. एक व्यक्ति केवल एक पैन कार्ड बनवा सकता है।
३. डुप्लीकेट पैन या फर्जी आवेदन पर सख्त कार्रवाई हो सकती है।
४. e-PAN की मान्यता भौतिक कार्ड जितनी ही है।

ऐसी ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए फॉलो करें: www.samacharwani.com

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsoever.